उपायुक्त का कार्यालय, पलामू
(विकास शाखा)

लेखा लिपिक–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी सूचना

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, रांची के पत्र संख्या–1453/पं0, दिनांक 03.05.2016 के द्वारा जिले में 14वें वित्त आयोग के योजनाओं के सफल संचालन हेतु लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त 32 पद पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र Online Recruitment Portal, URL : www.applyrdd.jharkhand.gov.in पर भरे जायेंगे।

पलामू जिले के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार आरक्षित/अनारक्षित पदों की संख्या निम्नवत् है :–

क्र	पदों का नाम	कुल पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति				
			अनारक्षित	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अ0जा0	अ0ज0जा0
1	लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर	32	02	03	05	16	06

नोट :– दिव्यांगों एवं महिलाओं के लिए नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

विभागीय अधिसूचना संख्या–80/पं0, दिनांक 28.04.2016 एवं झारखण्ड सरकार, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज) का शुद्धि पत्र अ0सू0सं0–01 रथा (वि0) 89/2016 105 दिनांक 07.06.2016 के द्वारा उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, नियुक्ति की प्रक्रिया, आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया एवं आवेदन के लिए विहित प्रपत्र, शुल्क की राशि तथा संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवा शर्त्त निर्धारित की गई है, जो निम्नवत् हैं :–

क्र	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	उम्र सीमा	शुल्क की राशि	मासिक मानदेय
1	लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0 (गणित/सांख्यिकी) /बी0ए0 (गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी। वांछनीय योग्यता एवं अनुभव– संबंधित क्षेत्र में उच्चर योग्यता एवं अनुभव का प्राथमिकता दी जायेगी।	1. सामान्य श्रेणी के लिए – 35 वर्ष 2. पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए – 37 वर्ष 3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए – 40 वर्ष	सरकार के संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के कार्यालय आदेश ज्ञापांक संख्या 4894 दिनांक 03.2.2018 के आलोक में अभ्यर्थियों से Online आवेदन प्राप्त करते समय कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।	10000/–

आवेदन हेतु पात्रता:– कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 3834 दिनांक 01.06.2018 के आलोक में पलामू जिला के स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 3198 दिनांक 18.04.2016 (परिशिष्ट – 4) प्रभावी मानी जायेगी।

नोट :– उम्र की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से की जायेगी।

आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :–

1. आवेदन पत्र संलग्न प्रपत्र में ही मान्य होगा।
2. आवेदन पत्र Online दिनांक 5/4/19 से 20/4/19 तक ही स्वीकार्य होगा।
3. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. रिक्ति के आधार भविष्य में पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।
5. उम्मीदवारों के चयन हेतु दक्षता जाँच को आयोजित किया जा सकता है अथवा इसके संबंध में चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय मान्य होगा।

Scanned by CamScanner

संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त्त निम्नवत् होगी :–

1. प्रारम्भिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।
2. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
3. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
5. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की जायेगी।
6. आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।
7. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी का मात्र सरकारी कार्यो से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।
9. नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
10. स्वीकृत पदों के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का Clearance प्राप्त होने के पश्चात् भविष्य में आरक्षण कोटिवार पदों में अंतर भी हो सकता है।

ह०/-

उपायुक्त, पलामू।

Scanned by CamScanner